



## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

### चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme- NPS) को व्यवस्थित करने तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NPS के तहत कवर किये गए **18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों** को लाभ पहुँचाने हेतु इस योजना में बदलावों को मंजूरी दे दी है।

### मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बदलाव-

- केंद्र सरकार द्वारा **NPS टयिर-** के दायरे में आने वाले अपने कर्मचारियों के लिये अपना अनिवार्य अंशदानमौजूदा **10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत** कर दिया गया है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को **पेंशन फंडों और नविश के स्वरूप के चयन की आज़ादी** दी गई है।
- **वर्ष 2004-2012 के दौरान** NPS में अंशदान न करने या इसमें वलिंब होने पर **कृतपूरति** की जाएगी।
- NPS से बाहर निकलने पर मलिनने वाली **एकमुश्त नकिसी राशपर कर छूट सीमा बढ़ाकर 60 प्रतिशत** कर दी गई है। इसके साथ ही समूची नकिसी राशअब आयकर से मुक्त हो जाएगी। (मौजूदा समय में वार्षिक तौर पर खरीद के लिये इस्तेमाल की गई कुल संचति राशका 40 प्रतिशत कर मुक्त है। सेवानवृत्तिके समय NPS के सदस्य द्वारा नकिसी जाने वाली संचति राशके 60 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत कर मुक्त है, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशकर योग्य है।)
- **NPS टयिर-** के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाला अंशदान अब आयकर की दृष्टिसे 1.50 लाख रुपए तक की छूट के लिये धारा 80 सी के अंतर्गत कवर होगा। यह अन्य योजनाओं जैसे कसामान्य भवषिय नधि, अंशकारी भवषिय नधि, कर्मचारी भवषिय नधि और सार्वजनिक भवषिय नधि के समतुल्य है, **बशर्ते कइसमें तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि** हो।

### प्रभाव

- NPS के दायरे में आने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों की **अंतमि संचति राशमें वृद्धि** होगी।
- कर्मचारियों पर **कोई अतरिकित बोझ पड़े बगैर** ही सेवानवृत्तिके बाद उन्हें मलिनने वाली पेंशन राशबढ़ जाएगी।
- जीवन प्रत्याशा बढ़ने की स्थितिमें **वृद्धावस्था सुरक्षा बढ़ जाएगी**।
- NPS को और ज़्यादा आकर्षक बनाने से सरकार को **सर्वोत्तम प्रतभिओं को आकर्षति करने एवं उन्हें सेवा में बनाए रखने में आसानी** होगी।

### पृष्ठभूमि

- **7वें वेतन आयोग ने वर्ष 2015 में** अपने वचिर-वमिरश के दौरान NPS से जुड़ी वशिषिट चतिओं पर गौर किया और सफिरशें पेश की।
- तदनुसार, सरकार द्वारा वर्ष 2016 में सचविों की एक समतिगठति की गई जसि NPS के कार्यान्वयन को युक्तसिंगत अथवा सरल बनाने के लिये वभिन्न उपाय सुझाने की ज़मिमेदारी सौपी गई।

### राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

- केंद्र सरकार ने **01 जनवरी, 2004** से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) शुरू की थी (**सशस्त्र बलों को छोड़कर**)।
- देश में NPS को लागू करने और वनियमति करने की ज़मिमेदारी **पेंशन फंड नयामक और वकिस प्राधकिरण** (Pension Fund Regulatory and Development Authority) की है।
- PFRDA द्वारा स्थापति **नेशनल पेंशन ससिटम ट्रस्ट** (National Pension System Trust- NPST) NPS के तहत सभी संपत्तियों का **पंजीकृत मालकि** है।
- NPS की संरचना **द्वसितरीय** है-

• **टयिर- 1 खाता:** यह सेवानवृत्तिके बचत के लिये बनाया गया खाता है जसिका आहरण नहीं किया जा सकता है।

• **टयिर-2 खाता:** यह एक स्वैच्छिक बचत सुवधि है। अभदिता अपनी इच्छानुसार इस खाते से अपनी बचत को आहरति करने के लिये स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं है।

- NPS **1 मई, 2009** से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहति देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है।

- देश का कोई भी व्यक्ति (निवासी और अनवासी दोनों) NPS में शामिल हो सकता है, बशर्ते NPS के लिये आवेदन करते समय उसका आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो।
- लेकिन OCI (**Overseas Citizens of India**) तथा PIO (Person of Indian Origin) कार्ड धारक और हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family- HUFs) NPS खाता खोलने के लिये योग्य नहीं हैं।

#### पेंशन नधिविनियामक और वकिस प्राधकिरण

- इस अधनियिम को 19 सतिंबर, 2013 में अधसूचिति और 1 फरवरी, 2014 से लागू कयि गय।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जसिके अभदिताओं में केंद्र सरकार/राज्य सरकारों नजिी संस्थानों/संगठनों और असंगठति क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं, का नयिमन PFRDA द्वारा कयि जत।
- भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधति योजनाओं के अधयन के लयि भारत सरकार ने वर्ष 1999 में OASIS ( वृद्धावस्था सामजकि और आय सुरक्षा) नामक राष्ट्रीय परयोजना को मंजूरी दी थी।
- भारत सरकार द्वारा अंशदान पेंशन प्रणाली को 22 दसिंबर, 2003 में अधसूचिति कयि गय जो 1 जनवरी, 2004 से लागू हुई और जसिे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जाना जत।
- 1 मई, 2009 से NPS का वसितार स्वैच्छकि आधार पर देश के सभी नागरिकों के लयि कयि गय जसिमें स्वरोजगार, पेशेवरों और असंगठति क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल कयि गय।

स्रोत : पी.आई.बी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-pension-scheme>

